उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 अंक 10 16–31 मई 2025 ₹ 20/–

अवैध घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान

- लाखों मुसलमानों से अरबों रुपये ठगने वाली नोहेरा शेख गिरफ्तार
- अमेरिका में इजरायली दूतावास के दो कर्मचारियों की हत्या
- सऊदी अरब में पौने तीन लाख लोग गिरफ्तार
- कुवैत में 26 हजार महिलाओं की नागरिकता रद्द

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

अवैध घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान 04
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का विदेश दौरा और उर्दू मीडिया 07
लाखों मुसलमानों से अरबों रुपये ठगने वाली नोहेरा शेख गिरफ्तार 11
अली खान महमूदाबाद जमानत पर रिहा 14
सैयद लक्कड़ शाह के उर्स पर प्रतिबंध 16

विश्व

अमेरिका में इजरायली दूतावास के दो कर्मचारियों की हत्या 17
पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के बीच त्रिपक्षीय सम्मेलन 18
अफगानिस्तान में भारत की नई कूटनीति की शुरुआत 20
बलूच नेताओं द्वारा भारत में दूतावास खोलने की मांग 21
शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई शुरू 23

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब में पौने तीन लाख लोग गिरफ्तार 24
हमास और इजरायल के बीच 60 दिनों के युद्धविराम पर सहमति 25
कुवैत में 26 हजार महिलाओं की नागरिकता रद्द 27
ईरान में तीन भारतीय युवकों का अपहरण 27
आईएसआईएस की ओर से सीरियाई सेना पर हमले 29

सारांश

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि अवैध घुसपैठियों का पता लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ा जाए। इस आदेश के बाद कुछ राज्यों ने घुसपैठियों की पहचान शुरू कर दी है और उन्हें देश से निष्कासित करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। यह हकीकत है कि पिछले 50 सालों से भारत में अवैध घुसपैठियों के प्रवेश का सिलसिला जारी है। इस घुसपैठ और अतिक्रमण के कारण देश के अनेक भागों में जनसंख्या का अनुपात तक बदल चुका है। पूर्वोत्तर भारत के अनेक राज्यों की स्थिति बेहद चिंताजनक है।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि वोट बैंक के मोह के कारण तत्कालीन सत्तारूढ़ दल कांग्रेस सहित अन्य दलों के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने परोक्ष रूप से देश में घुसपैठ का समर्थन किया और इन घुसपैठियों को देश से निष्कासित करने हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या के बारे में कोई अधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। गुप्तचर सूत्रों के अनुसार इनकी संख्या दो करोड़ से भी अधिक बताई जाती है। कुछ साल पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले इन घुसपैठियों की संख्या दो से ढ़ाई लाख बताई गई थी। हैरानी की बात है कि जब भी सरकार इन घुसपैठियों को देश से निष्कासित करने हेतु कोई ठोस कदम उठाती है तो कुछ राजनीतिक दल और मानवाधिकार कार्यकर्ता इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं।

मजहब के नाम पर जनता को कैसे लूटा जाता है इसका एक उदाहरण हाल ही में आंध्र प्रदेश की एक महिला नोहेरा शेख की गिरफ्तारी से मिलता है। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश की मामूली पढ़ी लिखी इस महिला ने कई कंपनियों का गठन किया और उनमें पूंजी निवेश करने के लिए मुसलमानों को प्रेरित किया। इसमें उसका सहयोग कुछ मुस्लिम संगठनों और उनसे जुड़े मौलानाओं ने भी किया। इसके लिए इन मौलानाओं को नोहेरा शेख की ओर से कमीशन के रूप में मोटी धनराशि दी गई। कहा जाता है कि इन मौलानाओं ने मुस्लिम जनता में यह प्रचार किया कि इस्लाम में बैंक से ब्याज लेने को हराम करार दिया गया है, इसलिए उन्हें अपनी बचत राशि को नोहेरा शेख की कंपनियों में निवेश करना चाहिए, क्योंकि लाभांश के रूप में उन्हें जो धनराशि मिलेगी वह इस्लामिक शरिया के अनुरूप मानी जाएगी। इस भ्रामक प्रचार के कारण विश्व के लाखों मुसलमानों ने नोहेरा शेख द्वारा स्थापित कंपनियों में अरबों रुपये का पूंजी निवेश किया। शुरुआत में इन कंपनियों ने शेयरधारकों को लाभांश भी दिए, लेकिन बाद में इस धनराशि को हड़प लिया गया।

इस्लामिक जिहादी और उनके वामपंथी समर्थक विश्वभर की शांतिप्रिय जनता के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। हाल ही में एक फिलिस्तीन समर्थक वामपंथी ने वाशिंगटन स्थित यहूदी संग्रहालय के बाहर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें अमेरिका स्थित इजरायली दूतावास के दो कर्मचारी मारे गए। हमलावर ने गोलीबारी करते समय 'फिलिस्तीन को आजाद करो' के नारे भी लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने घोषणा की है कि अमेरिका में यहूदी विरोधी अभियान को सहन नहीं किया जाएगा और उत्पात मचाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सऊदी अरब सरकार ने बिना परमिट हज करने के प्रयास में लगभग तीन लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी सरकार ने घोषणा की है कि यह कदम हज सीजन के दौरान भीड़ को कम करने के लिए उठाया गया है। इससे पहले सऊदी सरकार ने यह घोषणा की थी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को हज करने की अनुमति दी जाएगी, जो सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के तहत विशेष परमिट लेकर सऊदी अरब में प्रवेश करेंगे।

अवैध घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान

रोजनामा सहारा (3 जून) के अनुसार पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद केंद्र सरकार ने देश में अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान तेज कर दिया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार अब तक दो हजार से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निष्कासित किया जा चुका है। इस अभियान की शुरुआत गुजरात से हुई है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ भी अभियान चलाएं। सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से इन राज्यों की पुलिस संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें हिरासत केंद्रों में रख रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिन राज्यों में रोजगार के साधन अधिक होते हैं उन राज्यों में रोजी-रोटी के लिए ये घुसपैठिए भारी संख्या में आ जाते हैं। कहा जाता है कि सरकार को यह जानकारी मिली थी कि इन घुसपैठियों ने फर्जी आधार कार्ड और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी शरणार्थी पंजीकरण कार्ड बना रखे हैं, इसलिए जांच एजेंसियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे घुसपैठियों की जांच के दौरान आधार कार्ड और शरणार्थी पंजीकरण कार्ड को नजरअंदाज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें।

प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि वे इस अभियान में अपना योगदान दें, लेकिन कुछ राज्य सरकारें इस मामले में पूरा सहयोग नहीं दे रही हैं। इन घुसपैठियों को सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद उन्हें सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाता है। वहां पर उन्हें शिविरों में रखा जाता है। उन्हें भोजन के अतिरिक्त कुछ बांग्लादेशी करेंसी भी दी जाती है। इसके बाद इन घुसपैठियों को वापस उनके देश में धकेल दिया जाता है।

मुंसिफ (3 जून) के अनुसार अहमदाबाद नगर निगम ने चंदोला तालाब के आसपास लगभग

नौ हजार अवैध मकानों, दरगाहों और मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ की गई है। बेघर होने वाले लोगों का दावा है कि वे पिछले 40 सालों से इस स्थान पर रह रहे थे। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि इससे पहले भी दो हजार मकानों व झुग्गियों को जबरन खाली करवा लिया गया था और उनमें रहने वाले अनेक लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिया करार देकर हिरासत में ले लिया गया था। समाचारपत्र ने शिकायत की है कि इस अभियान में सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाया गया है। 58 वर्षीय सलमा बानो ने बताया कि हम बांग्लादेशी कैसे हो सकते हैं? मेरा जन्म यहीं पर हुआ। मेरे माता-पिता भी यहीं पर पैदा हुए। हमारे पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और बिजली बिल भी हैं, लेकिन किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। उनके एक पड़ोसी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बिना नोटिस दिए बुलडोजर आए और हमारे घरों को मिट्टी में मिला दिया गया।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि सशस्त्र पुलिसकर्मियों ने इस पूरे क्षेत्र को घेर रखा था और किसी भी पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। सरकार का दावा है कि ये सभी मकान अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। अहमदाबाद के मौलाना जावेद का कहना है कि यह राज्य के अत्याचार का एक शर्मनाक उदाहरण है। सरकार मुसलमानों का नामोनिशान मिटाने पर तुली हुई है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि पुलिस अब तक 10 हजार से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों को हिरासत में ले चुकी है और उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है।

कौमी भारत (28 मई) के अनुसार हरियाणा पुलिस ने राज्य के अनेक क्षेत्रों से 500 से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों को हिरासत में लिया है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 210 लोग पकड़े गए हैं। जबकि नूंह में 95, फरीदाबाद में 122 और पानीपत में 170 घुसपैठियों के पकड़े जाने की पुष्टि हुई है। हरियाणा सरकार ने 23 स्थानों पर उन झुग्गी-झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया है, जिनमें बांग्लादेशी नागरिक अवैध कब्जा करके रह रहे थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर दो हजार से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों को हिरासत में लिया है। इनमें से 300 लोगों के बांग्लादेशी होने की पुष्टि हुई है। इन बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया गया है। वहां से उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। बाकी लोगों को लामपुर स्थित हिरासत केंद्र में रखा गया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि अवैध घुसपैठियों के अड्डों का पता लगा लिया गया है। नगर निगम और डीडीए द्वारा इन अड्डों को बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया गया है। यह भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई को देखते हुए दिल्ली में रहने वाले अधिकांश घुसपैठिए यहां से भागकर पड़ोसी राज्यों में चले गए हैं।

इंकलाब (23 मई) के अनुसार उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा

है। अब तक इस सिलसिले में सात हजार से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सबसे अधिक लोग नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर में पकड़े गए हैं।

एतेमाद (2 जून) के अनुसार महाराष्ट्र पुलिस और गुप्तचर विभाग ने राज्य के विभिन्न स्थानों से छह हजार से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। स्थानीय निकायों ने मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, बीड और औरंगाबाद में इन घुसपैठियों की अनेक बस्तियों को ध्वस्त कर दिया है। सरकार का दावा है कि इन लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपने मकान और झुग्गी-झोपड़ियां बनाई थीं। मुंबई में सबसे अधिक 2700 संदिग्ध पकड़े गए हैं।

एतेमाद (24 मई) के अनुसार मध्य प्रदेश में 277 घुसपैठियों को गिरफ्तार करके सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया गया है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि पुलिस ने भोपाल, उज्जैन, इंदौर, झांसी और दतिया से लगभग दो हजार संदिग्ध घुसपैठियों को अपनी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। समाचारपत्र ने शिकायत की है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना के तहत बेगुनाह लोगों को अपना निशाना बना रही है।

अखबार-ए-मशरिक (30 मई) के अनुसार असम सरकार ने सात हजार से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि अब तक लगभग दो हजार घुसपैठियों को भारत से निष्कासित किया जा चुका है।

रोजनामा सहारा (3 जून) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने घुसपैठियों को देश से निष्कासित करने की असम सरकार की नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वे इस संबंध में उच्च न्यायालय की शरण लें। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि असम सरकार वैध भारतीय नागरिकों को घुसपैठिया करार देकर उन्हें देश से निष्कासित करने का अभियान चला रही है और संबंधित लोगों को अदालतों में अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया जा रहा है। यह न्याय की भावना के खिलाफ है। याचिका में यह भी कहा गया है कि असम सरकार की यह नीति संविधान की धारा 14 और 21 के विरुद्ध है। बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से दायर याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि असम सरकार अपनी सांप्रदायिक नीति के कारण गरीब और पिछड़े मुसलमानों को विदेशी घुसपैठिया करार देकर उन्हें देश से बाहर निकाल रही है। उन्हें सरकारी आदेश को अदालतों में चुनौती देने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है।

इंकलाब (25 मई) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने एक श्रीलंकाई नागरिक द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस व्यक्ति ने अदालत में एक याचिका दायर करके भारत से अपने निष्कासन को चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, जहां दुनियाभर से आए शरणार्थियों को शरण दी जा सके। अदालत ने कहा कि विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से देश में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इंकलाब (29 मई) के अनुसार उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 45 रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जिले में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान जारी है। इस संबंध में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 83 स्थानों पर जांच की गई। इसमें 775 लोगों को संदिग्ध पाया गया है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस ने जांच के लिए 50 टीमें बनाई है। ये टीमें घर-घर जाकर लोगों की जांच कर रही हैं।

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का विदेश दौरा और उर्दू मीडिया

इंकलाब (18 मई) के अनुसार भारत सरकार ने पाकिस्तान को दुनियाभर में बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय सांसदों के सात प्रतिनिधिमंडलों को विश्व के 33 देशों में भेजने का फैसला किया है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इन प्रतिनिधिमंडलों के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद शशि थरूर का नाम नहीं भेजा था। हालांकि, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने शशि थरूर को एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी दे दी है। इन सातों प्रतिनिधिमंडलों में विभिन्न दलों के 51 सांसद शामिल हैं।

उर्दू टाइम्स (30 मई) के अनुसार 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में विश्व में भारत सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए लोकसभा की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। उन्होंने वहां पर भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका स्थित भारतीय उच्चायोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय मूल के नागरिकों को बताया कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सीमा पार से संचालित आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारत आतंकवाद के उन्मूलन के लिए दृढ़संकल्प है। प्रतिनिधिमंडल ने केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के सांसदों व मंत्रियों से भी मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन और संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन भी शामिल हैं।

उर्दू टाइम्स (25 मई) के अनुसार जनता दल (यू) के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जापान का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने जापान के विदेश मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के स्पीकर और विभिन्न पार्टियों के सांसदों से मुलाकात की। जापान में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज ने कहा कि जापान ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के अभियान का पूरा समर्थन किया है। भाजपा की सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि हमारा यह दौरा सफल रहा है और हम विश्व में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का भंडाफोड़ करने में सफल रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (3 मई) के अनुसार एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में संयुक्त अरब अमीरात का दौरा

किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात की संघीय राष्ट्रीय परिषद के सदस्य अहमद मीर खोरी से मुलाकात की। शिंदे ने कहा कि हमने 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारत सरकार की भूमिका और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खतरों को उजागर किया है।

चट्टान (28 मई) के अनुसार भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत में भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। इस अवसर पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो कर्ज दिया है उसका इस्तेमाल वह आतंकवाद की ज्वाला भड़काने के लिए करेगा। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में रह रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा किया।

एतेमाद (30 मई) के अनुसार सऊदी अरब के मुस्लिम विद्वानों और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में 24 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हमारे उलेमा की गिनती विश्व के शीर्ष के विद्वानों में होती है। वे शानदार अरबी बोल सकते हैं। पाकिस्तान का यह प्रचार सरासर झूठा है कि भारत मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों की सहायता करना बंद कर दे तो दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता पैदा हो सकती है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान में जिस व्यक्ति ने आतंकवादियों की नमाज-ए-जनाजा पढ़ाई उसे अमेरिका ने भी आतंकवादी घोषित कर रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नमाज-ए-जनाजा में पाकिस्तान के उच्चाधिकारी और अनेक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए थे। उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। ओवैसी ने कहा कि भारत के पास इसके ठोस प्रमाण हैं कि भारत में होने वाले आतंकवादी हमलों का संचालन पाकिस्तान से किया जाता है।

एतेमाद (26 मई) के अनुसार भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन के उप प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खतरों के बारे में बताया। इस प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन संसद के उच्च सदन के अध्यक्ष अली बिन सालेह अल सालेह से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों की भी चर्चा की और यह आशा व्यक्त की कि बहरीन इस नाजुक घड़ी में भारत

का समर्थन करेगा। एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के विभिन्न पक्षों से अवगत कराया।

उर्दू टाइम्स (26 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद से भारत विश्व में अकेला पड़ गया। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने 33 देशों में सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भेजने का फैसला किया। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए उचित माहौल बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। जबकि 1962 में चीनी हमले के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने न केवल संसद का विशेष अधिवेशन ही बुलाया था, बल्कि सरकार ने लेखकों, कवियों, पत्रकारों, फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं से मुलाकात करके उनसे सहयोग मांगा था। हैरानी की बात है कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया और वे सभी बैठकों को छोड़कर बिहार में चुनावी प्रचार में लग गए। समाचारपत्र ने पूछा है कि क्या कारण था कि भारत को अचानक संघर्ष विराम के अमेरिकी प्रस्ताव के आगे घुटने टेकने पड़े?

उर्दू टाइम्स (21 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' भारतीय सेना की एक शानदार उपलब्धि रही है, लेकिन विश्व के किसी भी देश ने हमारा समर्थन नहीं किया। उल्टा चीन, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के रूख का समर्थन किया। जबकि अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों ने तटस्थ भूमिका निभाई। समाचारपत्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पूरी तरह से विफल रही है। हैरानी की बात है कि मोदी सरकार ने इन सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों के चयन में भी राजनीतिक रोटियां सेकने से गुरेज नहीं किया।

मुंसिफ (23 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश की राजनीति अब तमाशा बन चुकी है। देश के शासक हर रोज मदारी बनकर जनता को एक नया तमाशा दिखा रहे हैं। जनता भी इन तमाशों में इतना खो चुकी है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि इन शासकों से देश की गंभीर समस्याओं के बारे में कोई सवाल भी करना है, जिन्होंने चुनाव के दौरान अपनी हथेली में स्वर्ग दिखाकर सत्ता प्राप्त की थी। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के एक महीने बाद भी इस कायराना हमले के दोषी कानून की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन मदारी ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह करने का जो तमाशा दिखाया उस पर तमाशा देखने वालों ने खूब तालियां पीटीं। इस तमाशे में यह बात कहीं खो गई कि आखिर पहलगाम हमला हुआ ही क्यों? सरकार बेगुनाह पर्यटकों की रक्षा क्यों नहीं कर पाई? सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि अगर नोटबंदी और धारा 370 की समाप्ति से आतंकवाद खत्म होना था तो पहलगाम हमला क्यों हुआ?

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (28 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' की

वफादारी निभाते नजर आए। जो सात प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे गए हैं उनमें से चार का नेतृत्व सत्तारूढ़ दल के नेता कर रहे हैं। जबकि तीन प्रतिनिधिमंडलों के नेतृत्व की जिम्मेवारी विपक्षी नेताओं को दी गई है। ओवैसी व आजाद के अतिरिक्त जिन अन्य मुस्लिम सांसदों को इन प्रतिनिधिमंडलों में रखा गया है उनमें सरफराज अहमद, सलमान

सफलता के बाद पाकिस्तान के दुष्प्रचार को बेनकाब करने और सही तथ्यों को जनता के सामने पेश करने हेतु भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को विश्व के दौरे पर भेजा गया। अजीब बात है कि इन प्रतिनिधिमंडलों के चयन की शुरुआत भी राजनीतिक विवादों से हुई। खास बात यह भी है कि भारतीय मीडिया में इन प्रतिनिधिमंडलों में शामिल दो लोगों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इनमें से एक कांग्रेस नेता शशि थरूर हैं तो दूसरे हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। इसका कारण यह है कि अपने विदेशी दौरे के दौरान इन दोनों नेताओं ने भारत सरकार की न सिर्फ जमकर प्रशंसा की, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के नापाक इरादों की कलई खोलने की भी पूरी कोशिश की। ओवैसी ने पाकिस्तान की जमकर आलोचना की और स्पष्ट किया कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों की तुलना में ज्यादा शांति और चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं।

इन प्रतिनिधिमंडलों में ओवैसी के अतिरिक्त गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं। इसमें दो राय नहीं है कि गुलाम नबी आजाद भारत के उन बुजुर्ग राजनीतिज्ञों में शामिल हैं, जो इत्तेफाक से मुसलमान भी हैं। हालांकि, उन्होंने कभी भी मुसलमानों के प्रवक्ता के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाई। गुलाम नबी आजाद हमेशा मुसलमानों की समस्याओं को नजरअंदाज करके कांग्रेस से

खुर्शीद, जावेद अशरफ, मियां अल्ताफ अहमद, सैयद अकबरुद्दीन, गुलाम अली खटाना, ईटी मोहम्मद बशीर और एमजे अकबर शामिल हैं। वैसे यूसुफ पठान को भी इस टीम में शामिल किया जाना था, लेकिन ममता बनर्जी के आदेश पर उन्होंने इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने से इंकार कर दिया।

अखबार-ए-मशरिक (22 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी और नफरती बयानबाजी के लिए मशहूर है। अब सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ मुस्लिम और सिख प्रतिनिधियों को प्रतिनिधिमंडलों में रखकर दुनिया को क्या संदेश देना चाहती है? अगर किसी ने इन प्रतिनिधिमंडलों से सरकार की मुस्लिम दुश्मनी के बारे में सवाल पूछ लिया तो ये क्या जवाब देंगे? सवाल यह है कि पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव के समय भारत अकेला क्यों दिखाई दिया? यहां तक कि नेपाल और भूटान भी भारत के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए। सवाल यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का ऐलान करते हुए दोनों देशों को तराजू के एक ही पलड़े में क्यों रखा? भारत के आईएमएफ का सदस्य रहते हुए पाकिस्तान को एक अरब डॉलर का कर्ज कैसे मिल गया? इस बोर्ड में शामिल 25 सदस्यों में से किसी ने भी

पाकिस्तान को कर्ज देने का विरोध नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत की कूटनीति पूरी तरह से विफल रही है।

अवधनामा (25 मई) ने अपने एक लेख में कहा है कि पहलगाम हमला और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत विश्वभर में अलग-थलग पड़ गया था। यही कारण है कि मोदी सरकार को मजबूरन विदेशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजने पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी को विदेश भ्रमण का जो शौक चढ़ा हुआ है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। संसद में पेश जानकारी के अनुसार पिछले पांच सालों में प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी दौरों पर 254 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो विदेशी शासकों के साथ उनकी गलबहियां की तस्वीरें खूब नजर आती हैं। हैरानी की बात है कि अब संकट के समय किसी भी देश ने उनका साथ नहीं दिया और न ही किसी देश के नेता ने उनके पक्ष में अपनी जुबान ही खोली।

अवधनामा (23 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इन प्रतिनिधिमंडलों में 51 विभिन्न दलों के नेता हैं। जबकि आठ पुराने राजनयिक हैं। भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की कार्रवाई की ब्रीफिंग के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का चयन एक विशेष रणनीति के तहत किया था। इसी रणनीति के तहत इन प्रतिनिधिमंडलों में नौ मुस्लिम सांसदों को भी शामिल किया गया है।

इंकलाब (23 मई) ने अपने संपादकीय में विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि इन प्रतिनिधिमंडलों को विदेशी सरकारों को यह समझाना चाहिए कि पाकिस्तान भारत को अस्थिर करना चाहता है और उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाकर उसके विकास में बाधा डालना चाहता है।

लाखों मुसलमानों से अरबों रुपये ठगने वाली नोहेरा शेख गिरफ्तार

औरंगाबाद टाइम्स (29 मई) के अनुसार हैदराबाद पुलिस ने बहुचर्चित हीरा गोल्ड धोखाधड़ी केस की मुख्य अभियुक्त नोहेरा शेख को फरीदाबाद के सूरजकुंड से गिरफ्तार कर लिया है। सेंट्रल क्राइम स्टेशन की टीम काफी समय से उसका पता लगाने का प्रयास कर रही थी। नोहेरा पर पौने दो लाख लोगों को चूना लगाकर उनसे अरबों रुपये लूटने का आरोप है। हैदराबाद में तीन मुकदमों के सिलसिले में 2018 में नोहेरा शेख की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन अदालत से जमानत मिलने के बाद से वह फरार चल रही थी। अक्टूबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने नोहेरा की जमानत की याचिका रद्द कर दी थी, क्योंकि वह स्थानीय अदालत में पेश नहीं हुई थी। हीरा गोल्ड घोटाले की गिनती भारत के बड़े आर्थिक घोटालों में होती है।

आरोप है कि नोहेरा शेख की कंपनियों में पूंजी निवेश करने वालों को प्रतिमाह 36 प्रतिशत और प्रतिवर्ष 80 प्रतिशत लाभांश देने का झांसा

दिया गया था। नोहेरा ने लोगों से अरबों रुपये लूटने के लिए हीरा गोल्ड, हीरा टेक्सटाइल्स और हीरा फूडिक्स जैसी कंपनियों का गठन किया था। 2018 में इन कंपनियों ने पूंजी निवेश करने वालों को अचानक भुगतान करना बंद कर दिया। नोहेरा की पहली गिरफ्तारी 2018 में हुई थी, लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। देशभर में उसके खिलाफ दर्जनों केस दर्ज हुए और प्रवर्तन निदेशालय ने उसकी कंपनियों की 124 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया।

पृष्ठभूमिः मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुस्लिम समाज में आज तक किसी ने भी इतना बड़ा घोटाला नहीं किया था। अनेक मौलानाओं ने लोगों को इन कंपनियों में पूंजी निवेश करने के लिए प्रेरित किया। इसके बदले में इन कंपनियों की ओर से मौलानाओं को भारी रिश्वत दी गई। इन मौलानाओं ने मुस्लिम समुदाय में यह प्रचार किया था कि बैंकों में धनराशि जमा करने से जो ब्याज मिलता है वह शरिया के अनुसार हराम होता है, इसलिए मुसलमानों को नोहेरा शेख की विभिन्न कंपनियों में पूंजी निवेश करना चाहिए ताकि वे ब्याज के बजाय लाभांश प्राप्त कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों द्वारा अधिकतम 13 प्रतिशत ही ब्याज दिया जाता है। जबकि नोहेरा द्वारा स्थापित कंपनियों ने 80 प्रतिशत तक लाभांश देने की घोषणा की है।

खास बात यह है कि नोहेरा शेख की कंपनियों में अधिकांश महिलाओं ने गुप्त रूप से की गई बचत को निवेश किया था। उनके परिवारजनों को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें हीरा गोल्ड की चेयरपर्सन व सीईओ नोहेरा शेख, कंपनी के निदेशक बीजू थॉमस और महाप्रबंधक मैरी थॉमस शामिल हैं। इन कंपनियों के खिलाफ तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में मुकदमे दर्ज किए गए थे।

नोहेरा शेख के उत्थान की कहानी भी बेहद रोचक है। वह आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रहने वाले एक सब्जी विक्रेता की बेटी है और मामूली पढ़ी लिखी है। हालांकि, उसका दावा है कि वह इस्लामिक विद्वान है और वह अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखती है। उसने जनता से पैसा बटोरने का सिलसिला तिरुपुर से शुरू किया था। 2006 में उसने एक संस्था अत-तौहीद इंटरनेशनल दावा सेंटर फॉर विमेन की स्थापना की। नोहेरा ने 2007 में हीरा गोल्ड नामक एक कंपनी की स्थापना की। उसका पहला कार्यालय मुंबई में था। नोहेरा ने यह

दावा किया कि वह घाना से सोने का व्यापार करती है। मौलानाओं के जोरदार प्रचार के कारण उसका धंधा चमक उठा। 2012 में हीरा गोल्ड को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का रूप दिया गया। नोहेरा ने दावा किया कि निवेशक ही कंपनी के वास्तविक शेयरधारक हैं। इसके बाद लोगों ने इस कंपनी में धड़ाधड़ पूंजी निवेश करना शुरू कर दिया। नोहेरा की कंपनियों का मकड़जाल देशभर में फैला हुआ था और उसके एजेंट देश के अधिकांश शहरों में मौजूद थे। वे मुसलमानों को उसकी कंपनियों में पूंजी निवेश करने के लिए प्रेरित करते थे। इसके बदले में उन्हें कमीशन के रूप में मोटी धनराशि दी जाती थी।

भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्रिटेन और लगभग सभी खाड़ी देशों के मुसलमानों ने नोहेरा की कंपनियों में पूंजी निवेश किया। शबाज नामक व्यक्ति ने 2010 में नोहेरा शेख और उसकी कंपनियों के खिलाफ पहली बार शिकायत की थी। उन्होंने सीबीआई और एनआईए को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि स्थानीय मस्जिदों के इमाम और मौलाना आम मुसलमानों को नोहेरा शेख की कंपनियों में पूंजी निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके बदले में कंपनी की ओर से इन मौलानाओं को मोटा कमीशन दिया जाता है। शबाज ने आरोप लगाया था कि इन मौलवियों का संबंध जमीयत-ए-अहले हदीस और अन्य इस्लामिक संगठनों से है। इस कंपनी की ओर से हैदराबाद के टोली चौकी क्षेत्र में 50 लाख रुपये की लागत से एक मस्जिद 'मस्जिद-ए-बिलकिस' बनाई गई। नोहेरा शेख की कंपनी ने इस मस्जिद के इमाम की सहायता से पांच करोड़ रुपये इकट्ठा किए। हैरानी की बात है कि इस शिकायत पर किसी भी जांच एजेंसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में जब इन कंपनियों ने शेयरधारकों को लाभांश देना बंद कर दिया तो मामला बिगड़ गया।

उल्लेखनीय है कि नोहेरा शेख ने 2017 में राजनीति में उतरने की भी घोषणा की थी और उसने एक राजनीतिक दल 'ऑल इंडिया महिला एम्पॉवरमेंट पार्टी' का गठन किया। उसने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया। यहां तक कि बॉलीवुड के अनेक अभिनेताओं ने इस पार्टी के लिए चुनावी प्रचार भी किया।

2018 में कंपनी के शेयरधारकों ने नोहेरा शेख और उसकी कंपनियों के खिलाफ हैदराबाद में मुकदमे दर्ज कराए। इसके बाद हैदराबाद पुलिस ने नोहेरा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में अदालत ने उसे सशर्त जमानत दे दी। इस सिलसिले में नोहेरा शेख के अतिरिक्त छह अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। जिन अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए उनमें मुबारक जान शेख, मौली थॉमस, अजीजा जुवाले, अख्तर मोदक, मुदस्सर और रिजवान शेख शामिल थे।

अली खान महमूदाबाद जमानत पर रिहा

इंकलाब (19 मई) के अनुसार हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सोशल मीडिया में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर टिप्पणी करने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया था। हरियाणा भाजपा युवा मोर्चा के एक नेता योगेश जठेड़ी ने अली खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद हरियाणा महिला आयोग ने भी अली खान को समन जारी किया था। इससे पहले अली खान ने अपने एक बयान में कहा था कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से लिया गया है। यह मामला महिला आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अली खान ने कहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भारत की बहुधार्मिक समाज का प्रतिनिधित्व हेतु ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रेस ब्रीफिंग के लिए चुना गया था।

गौरतलब है कि अली खान ने अपने फेसबुक पोस्ट में महिला अधिकारियों द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' की ब्रीफिंग को ढोंग और तमाशा करार दिया था। उन्होंने कहा था कि दक्षिणपंथी कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसी तरह से भीड़ द्वारा मुसलमानों की हत्या, उनके घरों को बुलडोजरों से तबाह करने और भाजपा द्वारा मुसलमानों के खिलाफ नफरती अभियान के विरोध में भी आवाज उठाना चाहिए। इससे पहले 200 से अधिक शिक्षाविदों और अधिकारियों ने हरियाणा महिला आयोग को एक ज्ञापन देकर अली खान महमूदाबाद का समर्थन किया था। उन्होंने आयोग से मांग की थी कि आयोग ने अली खान को जो समन जारी किया है उसे वापस ले ले, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

एक अन्य समाचार के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी, सांसद असदुद्दीन ओवैसी और शिक्षाविद अपूर्वानंद ने इस गिरफ्तारी की निंदा की है। अरशद मदनी ने कहा है कि सरकार जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है और उन्हें झूठे आरोपों में फंसा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भाजपा के दबाव पर अली खान को गिरफ्तार किया है। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के अध्यक्ष प्रो. राजीब रे ने आरोप लगाया है कि कानून का राजनीतिक उद्देश्य से दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि अली खान को फौरन रिहा किया जाए।

इंकलाब (22 मई) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने अली खान महमूदाबाद को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे भविष्य में सोशल मीडिया पर कोई भी विवादित पोस्ट नहीं करेंगे और न ही कोई विवादित भाषण देंगे। वे देश में हुए आतंकवादी हमले या 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। समाचारपत्र ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अली खान को जमानत तो दे दी है, लेकिन हरियाणा सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह इस केस की जांच के लिए एक विशेष एसआईटी का गठन

ओर, 'ऑपरेशन सिंदूर' पर टिप्पणी की आड़ में मुसलमानों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। 'ऑपरेशन सिंदूर' पर टिप्पणी करने के आरोप में अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रो. अली खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी तरह से पुणे की इंजीनियरिंग छात्रा खदीजा शेख को भी एक मुकदमे में फंसाया गया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी लताड़ लगाते हुए कहा कि आप एक बच्ची का भविष्य तबाह कर रहे हैं।

करे। इस एसआईटी में हरियाणा और दिल्ली का कोई भी पुलिस अधिकारी शामिल न हो और इसका प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक दर्जे का अधिकारी होना चाहिए। इसके शेष सदस्यों में दो डीसीपी दर्जे के अधिकारी होने चाहिए। इस एसआईटी में एक महिला अधिकारी भी होनी चाहिए।

इससे पहले हरियाणा पुलिस ने अली खान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अदालत में अली खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे। सिब्बल ने अदालत में तर्क दिया कि अली खान की पूरी पोस्ट देशभक्ति पर आधारित है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा था कि 'ऑपरेशन सिंदूर' की प्रेस ब्रीफिंग से यह पता चलता है कि जिस तर्क के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, वह विफल हो गया है। अली खान ने अपनी पोस्ट के अंत में जय हिंद लिखा था। हरियाणा सरकार की ओर से पैरवी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह जांच का मामला है कि अली खान की पोस्ट में महिला पुलिस अधिकारी को निशाना बनाया गया है या नहीं।

हिंदुस्तान (29 मई) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि एक ओर तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया जा रहा है। जबकि दूसरी

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (21 मई) ने अपने संपादकीय में अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी की निंदा की है। समाचारपत्र ने कहा है कि एक ओर तो संविधान में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति सरकारी नीति की आलोचना करता है तो उसे देशद्रोह के मुकदमे में फंसा दिया जाता है। समाचारपत्र ने निंदा की है कि पाकिस्तान का समर्थन करने के तथाकथित आरोप में देशभर से लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तार किया जा रहा है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में 30, असम में 78 और मध्य प्रदेश में सात लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सरकार की यह कार्रवाई घोर निंदनीय है।

उर्दू टाइम्स (28 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अली खान की गिरफ्तारी मुसलमानों की आवाज को बंद करने की एक तानाशाही कोशिश है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस मामले में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की टिप्पणी चिंताजनक है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि अली खान को ऐसे संवेदनशील मामले पर टिप्पणी करने से पहले सतर्कता बरतनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हम पिछले 75 सालों से सिर्फ अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन कर्तव्यों का कभी उल्लेख नहीं करते। उन्होंने कहा कि अली खान की बातें खतरे की घंटी हैं। समाचारपत्र ने कहा है

कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत की इस टिप्पणी का अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ेगा, जिसे देश में पहले से ही बड़ी बेदर्दी से कुचला जा रहा है। इस तरह की टिप्पणियों का सहारा लेकर पुलिस और निचली अदालतें किसी भी बेगुनाह व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं।

अवधनामा (22 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अली खान महमूदाबाद ने अपनी पोस्ट में कोई ऐसी बात नहीं लिखी है, जिसे देश के खिलाफ माना जाए। जमीनी स्थिति यह है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है। उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उनकी मस्जिदें खानकाहें और मजारें मिट्टी में मिलाई जा रही हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि हैरानी की बात है कि केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने अली खान से कोई पूछताछ नहीं की, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके सीधा जेल भेज दिया।

सैयद लक्कड़ शाह के उर्स पर प्रतिबंध

इंकलाब (31 मई) के अनुसार बहराइच जिला प्रशासन ने जिले के कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में स्थित दरगाह सैयद शाह हुसैन उर्फ लक्कड़ शाह के सालाना उर्स और मेले पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरगाह तक जाने वाले सभी रास्तों पर पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पीएसी किसी भी व्यक्ति को दरगाह तक जाने की अनुमति नहीं दे रही है। इस प्रतिबंध के कारण इस क्षेत्र के निवासियों में काफी गुस्सा है। गौरतलब है कि इससे पहले जिला प्रशासन ने सैयद सालार मसूद गाजी उर्फ बाले मियां और दरगाह सैयद अफजलुद्दीन उर्फ अमीरमाह बहराइची के सालाना उर्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इस इलाके के लोगों का दावा है कि पिछले 600 सालों से लक्कड़ शाह बाबा की दरगाह पर मेला और उर्स का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन इस बार वन विभाग ने इस आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रभागीय वन अधिकारी बी शिवशंकर ने कहा कि कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग वन संरक्षित क्षेत्र है। इस इलाके में बाघ समेत कई अन्य जानवर भी हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र कोर जोन में है, इसलिए यहां पर मेला या उर्स की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि मजार अभयारण्य क्षेत्र में पड़ती है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी था। उल्लेखनीय है कि लक्कड़ शाह की मजार पर हर साल मेला और उर्स का आयोजन किया जाता है। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं।

गौरतलब है कि पिछले दिनों वन विभाग ने लक्कड़ शाह दरगाह की प्रबंध समिति को एक नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में कहा गया था कि उन्होंने वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए इस दरगाह को हटा लिया जाए। इस प्रतिबंध के खिलाफ लखनऊ की अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने अभी तक इस पर सुनवाई नहीं की है।

अमेरिका में इजरायली दूतावास के दो कर्मचारियों की हत्या

सहाफत (23 मई) के अनुसार अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में फिलिस्तीन समर्थक एक आतंकवादी की अंधाधुंध फायरिंग में इजरायली दूतावास के दो कर्मचारी मारे गए और कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस संबंध में एक हमलावर को गिरफ्तार किया है। यह हमलावर मौके पर फायरिंग करने के साथ-साथ 'फिलिस्तीन को आजाद करो' के नारे लगा रहा था। यह घटना तब हुई जब यहूदी संग्रहालय में एक समारोह चल रहा था। मरने वालों में एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं। वाशिंगटन की पुलिस प्रमुख पामेला स्मिथ के अनुसार घटना से पहले यहूदी संग्रहालय के बाहर एक व्यक्ति घूम रहा था और उसने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा अधिकारियों ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद हुआ है। हमलावर की पहचान 30 वर्षीय एलियास रोड्रिगेज के रूप में हुई है। यह व्यक्ति शिकागो का रहने वाला है।

अमेरिका स्थित इजरायली दूतावास ने इस घटना में मारे गए लोगों की तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं। ये दोनो अमेरिका स्थित इजरायली दूतावास के कर्मचारी थे। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि यह एक खौफनाक घटना है और यह देश में यहूदियों के प्रति नफरत की भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में नफरत और कट्टरतावाद की कोई जगह नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि यह एक कायराना और यहूदी विरोधी हिंसा है। हम इस पूरी साजिश का पता लगाएंगे। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के प्रतिनिधि डैनी डैनन ने कहा है कि यह अमेरिका में इजरायल के खिलाफ चलाए जा रहे नफरत के अभियान का हिस्सा है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (24 मई) के अनुसार हत्यारे ने पुलिस को बताया कि उसने यह हमला फिलिस्तीन की आजादी के लिए किया है। उसने कहा कि मैंने गाजा का बदला लिया है। मरने वाले दोनों लोग इस समारोह में मंगनी की रस्म के सिलसिले में आए थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस घटना के बाद दुनियाभर में इजरायली दूतावासों की सुरक्षा

बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इजरायल के दुश्मन उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। एफबीआई ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी है। हत्यारे का संबंध फिलिस्तीनी संगठन से बताया जाता है।

एतेमाद (24 मई) के अनुसार मृतक प्रेमी जोड़े थे, जो मंगनी की रस्म के दौरान एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के बाद समारोह से बाहर निकल रहे थे। अमेरिका में इजरायल के राजदूत ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने उन्हें टेलीफोन करके यह आश्वासन दिया है कि उनका प्रशासन यहूदियों के प्रति नफरत के अभियान के उन्मूलन हेतु हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने अमेरिका और इजरायल की एकता पर जोर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने वाशिंगटन में इजरायली दूतावास के कर्मचारियों की हत्या की निंदा करते हुए कहा है कि अमेरिका का यह कर्तव्य है कि वह सभी देशों के दूतावासों में कार्यरत कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे।

पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के बीच त्रिपक्षीय सम्मेलन

मुंसिफ (28 मई) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने ईरान दौरे के बाद अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजरबैजान के नगर लाचिन में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के शीर्ष नेताओं के बीच एक उच्चस्तरीय बैठक हुई है। बताया जाता है कि इस बैठक में तीनों देशों की रक्षा नीति के संबंध में कई महत्त्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने इस सम्मेलन में हुए फैसलों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह दावा किया है कि इस बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी भाग लिया है। तुर्की की मीडिया ने भी इस खबर की पुष्टि की है। शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा करने के बाद तेहरान पहुंचे और इसके बाद वे अजरबैजान गए। इस बैठक में भाग लेने के बाद वे ताजिकिस्तान भी जाएंगे।

शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार भी गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति से पिछले एक महीने में दूसरी बार मुलाकात की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने 22 अप्रैल को शहबाज शरीफ से अंकारा में लंबी बातचीत की थी। तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ एकजुट रहने पर जोर दिया है। हाल ही में भारत-पाकिस्तान संघर्ष में इन दोनों देशों ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था।

अवधनामा (29 मई) के अनुसार अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने पाकिस्तान में दो अरब डॉलर का पूंजी निवेश करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान और तुर्की की संप्रभुता व अखंडता के समर्थक हैं। अजरबैजान तुर्की में भी 20 अरब डॉलर का पूंजी निवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के संबंधों में और अधिक स्थिरता

आए। इन तीनों देशों ने पिछले साल के जुलाई महीने में आपसी सहयोग की शुरुआत की थी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि हमें प्रसन्नता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो गया है। उन्होंने कहा कि हाल के भारत-पाकिस्तान विवाद के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी सरकार की भूमिका सकारात्मक रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने भारत को पहलगाम घटना की संयुक्त जांच कराने का जो प्रस्ताव दिया था उसे उसने खारिज कर दिया। इससे भारत के आक्रामक इरादों का संकेत मिलता है।

एतेमाद (22 मई) के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से चीन की राजधानी बीजिंग में मुलाकात की है। इस मुलाकात में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को अफगानिस्तान तक विस्तार देने और इस क्षेत्र में आतंकवाद को रोकने के विभिन्न उपायों पर विचार किया गया। इस अवसर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कई उच्चाधिकारी भी मौजूद थे। तीनों देशों की अगली बैठक काबुल में होगी।

उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में अफगान विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया था कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान और चीन के साथ सकारात्मक तालमेल में वृद्धि करने की इच्छा रखती है। यह बयान तब जारी किया गया था जब पाकिस्तान के विशेष दूत मोहम्मद सादिक खान और चीन के विशेष दूत यू शियाओयोंग ने काबुल में अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की थी।

अवधनामा (31 मई) के अनुसार हांगकांग में 30 से अधिक देशों ने अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए एक समूह बनाने का फैसला किया है। इस समूह में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चीन, बेलारूस और क्यूबा समेत 30 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी इस संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। इस अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ गुट के गठन से यह संकेत मिलता है कि चीन विकासशील देशों में अपने प्रभाव को तेजी से बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इस बैठक के बाद जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह समूह संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत काम करेगा और यह प्रयास करेगा कि विकासशील देशों के बीच के विवाद को आपसी बातचीत से हल किया जाए। हांगकांग सरकार के प्रवक्ता जॉन ली ने आशा व्यक्ति की है कि यह नया संगठन इस साल के अंत तक अपना काम शुरू कर देगा। इसमें 50 से अधिक देशों के शामिल होने की संभावना है।

अफगानिस्तान में भारत की नई कूटनीति की शुरुआत

रोजनामा सहारा (27 मई) के अनुसार भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए अफगानिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए उदार नीति अपनाने का फैसला किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगान नागरिकों को भारतीय वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब इस प्रतिबंध को हटा लिया गया है। अब अफगान नागरिकों को ऑनलाइन वीजा जारी करने का फैसला किया गया है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल उद्योगपतियों, कलाकारों, खिलाड़ियों, छात्रों और इलाज के लिए भारत आने वाले मरीजों को वीजा जारी करेगा। इस नई नीति के तहत छह श्रेणियों में वीजा जारी किए जा रहे हैं। इनमें व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, मेडिकल अटेंडेंट वीजा, प्रवेश वीजा और संयुक्त राष्ट्र राजनयिक वीजा शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई विधिवत घोषणा नहीं की गई थी। हालांकि, इस महीने की शुरुआत से ही ऑनलाइन वीजा देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। भारत सरकार ने अफगान कलाकारों को भी वीजा देने का फैसला किया है ताकि वे भारत आकर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सकें। भारतीय वीजा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को अपना फोटो, पासपोर्ट और पहचान पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसके बाद उन्हें ऑनलाइन वीजा जारी कर दिया जाएगा।

इंकलाब (30 मई) के अनुसार रूस के रक्षा मंत्री एंड्री बेलौसोव ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान की भूमि पर 20 से अधिक आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। इनमें 15 हजार से अधिक लड़ाके शामिल हैं। इन आतंकवादी संगठनों के कारण मध्य एशियाई देशों की शांति व सुरक्षा के लिए भारी खतरा पैदा हो गया है। रूसी विदेश मंत्री किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) के रक्षा मंत्रियों की परिषद की बैठक के दौरान ये बातें कहीं। रूसी न्यूज एजेंसी 'तास' के अनुसार रूस के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि इन आतंकवादी समूहों में कई ऐसे गुट भी शामिल हैं, जो पहले मध्य पूर्व में सक्रिय थे। उनका संकेत आईएसआईएस और उसके सहयोगी संगठनों की ओर था।

रूसी रक्षा मंत्री के इस आरोप का खंड़न करते हुए अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने कहा है कि अफगानिस्तान की भूमि पर कोई भी आतंकवादी संगठन या उससे जुड़े सशस्त्र लड़ाके सक्रिय नहीं हैं। रूस ने इस तरह के आरोप तब लगाने शुरू किए थे जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में डेरा डाले हुई थी। प्रवक्ता ने कहा कि हम रूस को यह आश्वासन देते हैं कि हमारे कारण मध्य एशिया में राजनीतिक अस्थिरता या अशांति पैदा होने की कोई संभावना नहीं है। हम किसी भी देश के लिए खतरा नहीं हैं।

बलूच नेताओं द्वारा भारत में दूतावास खोलने की मांग

उर्दू टाइम्स (30 मई) के अनुसार बलूच नेता मीर यार बलोच ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर नई दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने की अनुमति मांगी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे एक पत्र में मीर यार बलोच ने कहा है कि बलूच पिछले 27 सालों से पाकिस्तान से मुक्ति पाने के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने बिना हमारी मर्जी और अनुमति के बलूचिस्तान में चार बार परमाणु विस्फोट किए हैं। परमाणु विकिरण के कारण बलूचों को अनेक प्रकार की मानसिक और शारीरिक बीमारी हो गई है और इन विस्फोटों के कारण बलूचिस्तान की लाखों एकड़ कृषि भूमि तबाह हो गई है।

मीर यार बलोच ने संयुक्त राष्ट्र से भी मांग की है कि वह पाकिस्तान द्वारा विकसित परमाणु हथियारों को अपने नियंत्रण में ले ले ताकि दुनिया विश्वयुद्ध के खतरे से बच सके। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ईरान और अन्य मुस्लिम देशों के दौरे पर भी चिंता प्रकट की है। मीर यार ने कहा है कि अब ईरान भी परमाणु हथियारों को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब्दुल कादिर खान परमाणु हथियारों को विकसित करने की पद्धति यूरोप से चुराकर पाकिस्तान लाए थे। अगर उस समय दुनिया उनकी इस हरकत पर सख्त कार्रवाई करती तो पाकिस्तान एक खतरनाक परमाणु शक्ति के रूप में कभी नहीं उभरता। उन्होंने कहा कि बलूच अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

हिंदुस्तान (25 मई) के अनुसार बलूच नेता मेहरान मर्री ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने 1948 से सेना के जरिए बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों में यूक्रेन और फिलिस्तीन की समस्याओं की चर्चा तो गर्म है, लेकिन बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के समय बलूचिस्तान एक आजाद क्षेत्र था। बलूचिस्तान के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने से इंकार कर दिया था। मर्री ने कहा कि पाकिस्तान के निर्माण के कुछ महीने बाद 28 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने सेना भेजकर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को एक खुली जेल बना रखा है। पाकिस्तानी एजेंसियां हर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती हैं, जो बलूचों के अधिकारों का मुद्दा उठाता है। हाल ही में पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता करके बलूचिस्तान के संसाधनों को लूटने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्होंने भारत से मांग की है कि वह उन्हें पाकिस्तान के अत्याचार से मुक्ति दिलाए।

एक अन्य समाचार के अनुसार बलूच यकजेहती समिति ने बलूचिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शनों और धरनों का सिलसिला तेज कर दिया है। बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शनों की खबरों को दबाने के लिए पिछले एक सप्ताह से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तुरबत, मस्तुंग,

खारान, क्वेटा, नुश्की और पंजगुर में प्रदर्शनों व धरनों का सिलसिला जारी है। बलूच यकजेहती कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक वह बंधक बनाए गए बलूचों को रिहा नहीं करती तब तक उनके प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहेगा।

उर्दू टाइम्स (26 मई) के अनुसार बलूचिस्तान में एक वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल लतीफ बलोच की उनके परिवारजनों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि जब सरकार समर्थित एक मिलिशिया गुट ने इस पत्रकार का अपहरण करने का प्रयास किया तो उनके परिजनों ने इसका विरोध किया। इस पर लतीफ को गोली मार दी गई। उल्लेखनीय है कि कुछ लोगों ने तीन महीने पहले लतीफ के बड़े बेटे का भी अपहरण कर लिया था। बाद में उनकी लाश एक सड़क पर पड़ी मिली थी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने अब्दुल लतीफ बलोच की हत्या की निंदा की है और इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। यूनियन ने मांग की है कि पाकिस्तान सरकार हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करे।

हिंदुस्तान (25 मई) के अनुसार पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (पीटीएम) के सचिव फजलुर रहमान अफरीदी ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी वजीरिस्तान के अनेक गांवों पर ड्रोन हमले किए। इस हमले में अनेक लोग मारे गए। मरने वालों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने इस साल के पहले चार महीने में उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान के पश्तून इलाकों पर 32 बार हमले किए। अफरीदी ने यह भी कहा कि भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तानी सेना ने पश्तून नागरिकों पर हमलों का सिलसिला तेज कर दिया है।

हिंदुस्तान (25 मई) के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के खैबर जिला स्थित तिराह घाटी में जासूसी के आरोप में तीन युवकों का अपहरण करके उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। मरने वालों की पहचान इब्राहिम, समद और नवीद के रूप में हुई है। सेना ने आरोप लगाया है कि यह क्षेत्र मंगल बाग के नेतृत्व वाले आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-इस्लाम का अड्डा है और यहां से विदेशी शक्तियों के इशारे पर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई शुरू

इंकलाब (2 जून) के अनुसार बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना पर नरसंहार का मुकदमा शुरू हो गया है। इस मुकदमे का टेलीविजन चैनल पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के 10 महीने बाद उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि हसीना ने विरोध-प्रदर्शनों को नियंत्रित करने हेतु क्रूर तरीके अपनाए। उनके साथ-साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा रहा है। अल-मामुन इन दिनों पुलिस हिरासत में हैं। मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने न्यायाधिकरण से आग्रह किया है कि अवामी लीग को गैर-कानूनी संगठन घोषित किया जाए और उसके सभी पदाधिकारियों को देशद्रोह के आरोप में फौरन गिरफ्तार किया जाए।

रोजनामा सहारा (2 जून) के अनुसार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नए करेंसी नोट जारी किए हैं। नए नोटों से बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के प्रवक्ता आरिफ हुसैन खान ने बताया कि नए नोटों पर हिंदू व बौद्ध मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों और शहीद स्मारक की तस्वीर दिखाई जाएंगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी बांग्लादेश के नोटों में दो बार बदलाव किए गए थे। पहली बार 1972 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद पाकिस्तानी करेंसी के स्थान पर जो नई करेंसी जारी की गई थी उस पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर थी। बाद में जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आई तो उसने बांग्लादेशी नोटों से मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी और उन पर पुरातत्व स्थलों की तस्वीरें अंकित कर दीं।

एक अन्य समाचार के अनुसार बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन जमात-ए-इस्लामी का पंजीकरण बहाल कर दिया है। अब एक दशक के बाद जमात-ए-इस्लामी फिर से चुनाव में भाग ले सकेगी। गौरतलब है कि शेख हसीना की सरकार ने जमात-ए-इस्लामी की मान्यता रद्द कर दी थी और उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को अवैध घोषित किया है। जमात-ए-इस्लामी के वकील मोहम्मद शिशिर मोनिर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला बहुदलीय व्यवस्था को मजबूत करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य फैसले में जमात-ए-इस्लामी के एक प्रमुख नेता एटीएम अजहरुल इस्लाम की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। इस्लाम को 1971 के युद्ध अपराध मामले में 2014 में मौत की सजा सुनाई गई थी। गौरतलब है कि जमात-ए-इस्लामी ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था।

सऊदी अरब में पौने तीन लाख लोग गिरफ्तार

सहाफत (30 मई) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने बिना परमिट के हज करने हेतु मक्का में प्रवेश करने के प्रयास में दो लाख 69 हजार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका संबंध विभिन्न देशों से है। सऊदी सरकार के हज मंत्रालय के अनुसार इनकी गिरफ्तारी इसलिए की गई है ताकि हज के दौरान भीड़भाड़ को रोका जा सके। उल्लेखनीय है कि पिछले साल हज यात्री निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में मक्का आ गए थे। ज्यादा भीड़ और भीषण गर्मी के कारण लगभग दो हजार लोगों ने दम तोड़ दिया था। सरकारी सूत्रों ने दावा किया था कि अधिकतर मरने वाले घुसपैठिए थे। ये घुसपैठिए विभिन्न तरह के वीजा प्राप्त करके हज सीजन में सऊदी अरब में दाखिल हुए थे। ये घुसपैठिए सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं थे, इसलिए वे सरकारी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाए। इसके कारण उनकी मौत हो गई।

गौरतलब है कि सऊदी सरकार हज सीजन के दौरान भीड़भाड़ को रोकने के लिए सभी तरह के वीजा रद्द करने की घोषणा कर चुकी है। सऊदी अरब सरकार 14 श्रेणियों में वीजा जारी करती है, जिनमें पर्यटक वीजा, उमरा वीजा, व्यापार वीजा आदि शामिल हैं। इस साल सऊदी सरकार ने घोषणा की है कि जो व्यक्ति बिना हज परमिट के सऊदी सीमा में घुसने का प्रयास करेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उस पर 50 हजार रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद उसे देश से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सऊदी सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि जो भी व्यक्ति या संगठन इन घुसपैठियों को शरण देगा उसे 10 वर्ष की सजा दी जाएगी और उस पर 10 लाख रियाल का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त उसकी पूरी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी।

इंकलाब (2 जून) के अनुसार सऊदी अरब के गृह मंत्री और हज कमेटी के प्रमुख शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद ने हज सीजन के दौरान सुरक्षा प्रबंधों के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सऊदी सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल-बस्सामी को हज के दौरान सुरक्षा प्रबंधों का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हज कमेटी के प्रमुख ने सेना और

सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से सतर्क रहने का निर्देश दिया है। हज के दौरान हाजियों की सुरक्षा के लिए 200 ड्रोन लगातार उड़ान भरते रहेंगे। इसके अतिरिक्त आधुनिकतम उपकरणों से भी यात्रियों के आवागमन की निगरानी की जाएगी। एक लाख कर्मचारियों को हाजियों की सुरक्षा का कार्यभार सौंपा गया है।

इंकलाब (1 जून) के अनुसार विभिन्न देशों से 14 लाख हाजी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। दुनियाभर के मुसलमानों की सुविधा के लिए खुतबा-ए-हज को 35 भाषाओं में सीधा प्रसारित किया जाएगा। सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के प्रमुख शेख अब्दुल रहमान अल-सुदैस ने कहा कि खुतबा 5 जून को दिया जाएगा। खुतबा देने की जिम्मेवारी शेख सालेह बिन अब्दुल्ला अल-हुमैद को दी गई है।

औरंगाबाद टाइम्स (29 मई) के अनुसार सऊदी पुलिस ने एक ईरानी शिया विद्वान गुलाम रजा कास्मियान को सऊदी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कास्मियान हज करने के लिए ईरान से सऊदी अरब गए थे। ईरान सरकार ने कास्मियान की गिरफ्तारी की निंदा की है और उनकी तुरंत रिहाई की मांग की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि हम हर उस हरकत की निंदा करते हैं जिससे 'मुस्लिम एकता' को नुकसान पहुंचे।

हमास और इजरायल के बीच 60 दिनों के युद्धविराम पर सहमति

रोजनामा सहारा (31 मई) के अनुसार ब्रिटिश न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' ने दावा किया है कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि इजरायल ने गाजा पट्टी में युद्धविराम हेतु अमेरिकी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब इस प्रस्ताव को फिलिस्तीनी संगठन हमास को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजरायल की मंजूरी के बाद ही इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए हमास को भेजा है। लेविट ने कहा कि हमें आशा है कि गाजा में दो महीने के लिए युद्धविराम की घोषणा शीघ्र ही कर दी जाएगी और सभी इजरायली बंधक वापस आ जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या हमास ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तो कैरोलिन ने कहा कि हमें लगता है कि अब इसमें बाधा आने की कोई संभावना नहीं है।

गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिका की ओर से गाजा में युद्धविराम योजना के प्रस्ताव को हमास ने तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन इजरायल ने इसे ठुकरा दिया था। 'रॉयटर्स' के अनुसार इस अमेरिकी प्रस्ताव में गाजा में दो महीने के लिए युद्धविराम की चर्चा है और इसके लागू होने के तुरंत बाद हमास 28 जीवित या मृत इजरायली बंधकों को रिहा कर देगा। इसके बदले में इजरायली जेलों में बंद 125 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इजरायल की ओर से 180 फिलिस्तीनियों के शवों को भी वापस कर दिया जाएगा। इस प्रस्ताव पर हमास के

हस्ताक्षर होने के बाद गाजा को सहायता पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने युद्धविराम से संबंधित सूचनाओं की पुष्टि नहीं की है। जबकि फिलिस्तीनी संगठन हमास ने कहा है कि वह इस योजना पर विचार कर रहा है। हमास के एक वरिष्ठ नेता सामी अबू जुहरी ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर अभी तक हमारी सहमति नहीं हुई है, क्योंकि यह प्रस्ताव इजरायल के पुराने रूख के अनुरूप है। इस प्रस्ताव में युद्ध को समाप्त करने, इजरायली सैनिकों को गाजा से वापस बुलाने या गाजावासियों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता से इजरायल और हमास के बीच जो समझौता वार्ता चल रही थी उसमें गतिरोध पैदा हो गया था। इसके बाद इजरायल ने गाजा में फिर से सैन्य अभियान तेज कर दिया था। एक अन्य समाचार के अनुसार हमास ने कहा है कि अभी हमने अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव को स्वीकार करने का अंतिम फैसला नहीं किया है। हमास ने पुष्टि की है कि उसकी ओर से 10 जीवित और 18 मृत बंधकों के शव इजरायल के हवाले किए जाने की तैयारी है। इसके बदले में इजरायल को इजरायली जेलों में बंद सभी फिलिस्तीनी कैदियों को तुरंत रिहा करना होगा।

हिंदुस्तान (31 मई) ने अपने संपादकीय में चिंता प्रकट की है कि हमास ने इस युद्धविराम को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। संतोष की बात यह है कि अभी यह वार्ता रद्द नहीं हुई है और अमेरिका व अन्य देश यह प्रयास कर रहे हैं कि यह समझौता हो जाए। समाचारपत्र ने आलोचना की है कि अमेरिका हमास पर दबाव डालकर उसे इस समझौते के लिए मजबूर कर रहा है। जब तक इजरायल गाजा से अपने सैनिकों को पूरी तरह से नहीं हटा लेता तब तक इस युद्धविराम के सफल होने की कोई संभावना नहीं है।

एतेमाद (23 मई) ने अपने संपादकीय में शिकायत की है कि पूरे मुस्लिम जगत ने गाजा के संकटग्रस्त नागरिकों से अपना मुंह मोड़ लिया है। इजरायल ने गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाईयां तेज कर दी हैं और सिर्फ पांच दिनों में ही सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। लोग भूखे और प्यासे मर रहे हैं, लेकिन इजरायल गाजा के लोगों को राहत पहुंचाने से इंकार कर रहा है। खास बात यह है कि यूरोपीय देश इजरायल पर दबाव डाल रहे हैं कि वह अपनी हठधर्मिता छोड़े, लेकिन अरब जगत व सभी मुस्लिम देश अपने इन मुस्लिम भाईयों के प्रति संवेदनहीन और लापरवाह बने हुए हैं। समाचारपत्र ने पूछा है कि क्या कुरान में उम्मत-ए-इस्लामिया की एकता के दावे सिर्फ कागजी हैं?

कुवैत में 26 हजार महिलाओं की नागरिकता रद्द

रोजनामा सहारा (26 मई) के अनुसार कुवैत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रातोंरात 37 हजार लोगों की नागरिकता रद्द कर दी है, जिनमें 26 हजार महिलाएं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये आंकड़े सरकारी हैं। जबकि वास्तव में जिन लोगों की नागरिकता रद्द की गई है उनकी संख्या इससे कहीं ज्यादा है। नागरिकता रद्द करने के बाद इन सभी महिलाओं के बैंक खाते भी बंद कर दिए गए हैं और इन्हें सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। बताया जाता है कि जिन महिलाओं की नागरिकता रद्द की गई है उनमें से अधिकांश कुवैत मूल की नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कुवैती नागरिकों से विवाह करने के बाद वहां की नागरिकता ली थी। गौरतलब है कि मई 2024 में कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने लोकतंत्र को देश के लिए खतरा बताया था और उन्होंने संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को रद्द करने की घोषणा की थी।

इससे पहले दिसंबर 2023 में अल-सबा ने संसद को भंग कर दिया था और संविधान की कई धाराओं को भी निलंबित कर दिया था। कुवैत के अमीर ने कहा है कि उन्हीं लोगों को कुवैत का नागरिक माना जाएगा, जिनके पूर्वज कुवैत में पैदा हुए थे और वे तब से ही कुवैत के नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि इस समय कुवैत की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है और इनमें से सिर्फ 15 लाख ही कुवैती मूल के हैं। जबकि बाकी लोग बाहर से आकर यहां पर बसे हैं और वे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुवैत में अब सिर्फ वही लोग रह सकेंगे, जिनके पूर्वज यहां के मूल निवासी थे।

उल्लेखनीय है कि कुवैत पहले ब्रिटेन के अधीन था, इसलिए यहां पर भारी संख्या में भारतीय नागरिक भी रह रहे थे। 1961 में ब्रिटेन ने कुवैत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, लेकिन अभी भी यहां के अधिकांश निवासियों के पास कुवैत की नागरिकता नहीं है। कुवैती कानून के अनुसार जो व्यक्ति कुवैत के नागरिक नहीं हैं वे देश में अपना बैंक खाता नहीं खोल सकते हैं और न ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि उनके लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे भी बंद हैं। 1987 के बाद कुवैत में सिर्फ उन्हीं महिलाओं को नागरिकता प्रदान की गई थी, जिन्होंने कुवैती नागरिकों से विवाह किया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1993 से 2020 तक 40 हजार महिलाओं को विवाह के आधार पर कुवैत की नागरिकता प्रदान की गई थी। अब सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है।

ईरान में तीन भारतीय युवकों का अपहरण

चट्टान (31 मई) के अनुसार पंजाब के तीन परिवारों ने तेहरान स्थित भारतीय दूतावास को सूचित किया है कि उनके परिवार के तीन लड़कों को ईरान में अपहरण करके उन्हें बंधक बना लिया गया है और उनकी मुक्ति के लिए करोड़ों रुपये की फिरौती मांगी जा रही है। बताया जाता है कि

फिरौती मांगने वालों का संबंध पाकिस्तान से है। इन अपहरणकर्ताओं ने यह भी धमकी दी है कि यदि इन बंधकों की रिहाई के लिए फिरौती नहीं दी गई तो इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। समाचारपत्र का दावा है कि एक महीने पहले पंजाब के तीन युवक अमृतपाल, हुसनप्रीत और जसपाल सिंह ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अपने घर से निकले थे। इसके बाद वे लापता हो गए। कहा जाता है कि उनका ईरान में अपहरण कर लिया गया है और अपहरणकर्ताओं द्वारा उनकी मुक्ति के लिए दो-दो करोड़ रुपये की फिरौती मांगी जा रही है। जिन तीन भारतीय नागरिकों का अपहरण हुआ है वे पंजाब के संगरूर, होशियारपुर और नवांशहर के रहने वाले हैं।

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार तीन भारतीय नागरिकों के परिजनों ने बताया कि उनके लड़के ईरान पहुंचने के बाद लापता हो गए हैं। भारतीय दूतावास ने ईरान की सरकार से मांग की है कि इन लापता भारतीय नागरिकों का तुरंत पता लगाया जाए। भारतीय दूतावास ने कहा है कि ये युवक उस गिरोह का शिकार हुए हैं, जो लोगों को अवैध रूप से भारत से विदेशों में भेजता है। इस तरह के मानव तस्कर गिरोह पंजाब में ज्यादा सक्रिय हैं, क्योंकि वहां के युवा विदेशों में धन कमाने की लालच में ऐसे गिरोहों के चंगुल में आ जाते हैं। यह मामला भी उसी तरह का है। बीबीसी संवाददाता प्रदीप शर्मा के अनुसार होशियारपुर के भागोवाल गांव का 23 वर्षीय अमृतपाल पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वह वहां नहीं पहुंच सका। अमृतपाल की मां गुरदीप कौर का कहना है कि एक एजेंट ने उन्हें बताया कि उनके बेटे को ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी में पांच साल के लिए नौकरी मिल गई है। इस एजेंट ने इसके बदले में उनसे 18 लाख रुपये लिए थे।

कुछ दिनों बाद एजेंट ने उन्हें बताया कि ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 26 अप्रैल का टिकट है। गुरदीप ने कहा कि जब हम एजेंट के पास पहुंचे तो उसने कहा कि अभी पेपर नहीं आए हैं। इसके बाद उसने बताया कि 26 अप्रैल का टिकट रद्द हो गया है और अब 29 अप्रैल का टिकट मिला है। इसके बाद अमृतपाल अपने दो साथियों हुसनप्रीत और जसपाल के साथ दिल्ली चला गया। दिल्ली में इस गिरोह के एक व्यक्ति ने बताया कि तकनीकी कारणों से सीधा ऑस्ट्रेलिया जाने का टिकट नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्हें पहले तेहरान भेजा जाएगा। तेहरान पहुंचने पर उनकी आगे की यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद एजेंटों ने इन तीनों युवकों को तेहरान भेज दिया। तेहरान पहुंचने पर इन युवकों ने अपने परिवार को बताया कि वे तेहरान पहुंच गए हैं और अब एक होटल में ठहरने जा रहे हैं। इसके बाद वे होटल नहीं पहुंचे। बाद में अपहरणकर्ताओं की ओर से वीडियो कॉल किया गया, जिसमें इन युवकों को घायलावस्था में गिड़गिड़ाते हुए दिखाया गया। अपहरणकर्ताओं ने मांग की कि अगर आप दो करोड़ रुपये नहीं भेजेंगे तो हम इन्हें मौत के घाट उतार देंगे। गुरदीप ने बताया कि जब हमने अपहरणकर्ताओं को पूछा कि पैसे कैसे भेजना है तो उन्होंने हमें एक खाता नंबर भेजा। जब हमने इसकी जांच की तो पता चला कि यह खाता पाकिस्तान का है। गुरदीप कौर ने भारत सरकार से मांग की है कि उनके बच्चों को जल्द-से-जल्द बंधकों के चंगुल से छुड़ाया जाए।

इसी तरह से संगरूर के रहने वाले हुसनप्रीत और नवांशहर के जसपाल सिंह को भी एजेंटों ने अपने जाल में फंसाया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि ईरान सरकार से संपर्क स्थापित किया जा रहा है ताकि वहां की सुरक्षा एजेंसियां इन अपहृत भारतीयों नागरिकों का पता लगाकर उन्हें बंधकों के चंगुल से मुक्त करा सकें। ईरान सरकार ने इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने देशवासियों से अपील की है कि वे ऐसे एजेंटों के चंगुल में न फंसें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को भी सूचित किया गया है कि वह इन एजेंटों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करे और उन्हें गिरफ्तार करे।

आईएसआईएस की ओर से सीरियाई सेना पर हमले

मुंसिफ (31 मई) के अनुसार इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने दक्षिणी सीरिया में सरकारी सैनिकों पर दो हमले करने की जिम्मेवारी ली है। ये हमले सरकारी सेना और उनके अड्डों पर किए गए हैं। सीरियाई अखबार 'वार मॉनिटर' के अनुसार बशर अल-असद शासन के पतन के बाद वहां पर सत्ता में आई अहमद अल-शरा की सरकार के सैनिकों पर आईएसआईएस का यह पहला हमला है। आईएसआईएस ने अपने बयान में कहा है कि सीरिया की 'काफिर' सरकार की सेना के वाहन को निशाना बनाया गया है। यह हमला मिसाइल द्वारा किया गया है। इस हमले में सात सैनिक मारे गए हैं। यह हमला 22 मई को सीरिया के दक्षिणी प्रांत स्वेदा के रेगिस्तान में अल-सफा सैन्य छावनी पर किया गया था। इस हमले में अमेरिका समर्थित फ्री सीरियन आर्मी को भी निशाना बनाया गया है। इस हमले में छह सरकारी अधिकारी मारे गए हैं। सीरियाई सरकार ने आईएसआईएस के इस दावे पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है।

गौरतलब है कि सीरिया और इराक के एक बड़े हिस्से पर काबिज सुन्नी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस दमिश्क में सत्तारूढ़ अहमद अल-शरा की सरकार के खिलाफ है। अहमद अल-शरा कभी सीरिया में अलकायदा के प्रमुख थे और उन्होंने आईएसआईएस के खिलाफ पांच वर्ष तक युद्ध लड़ा था, लेकिन आईएसआईएस पूर्वी और दक्षिणी सीरिया में अभी भी सक्रिय है। इस क्षेत्र में इस संगठन के कई अड्डे हैं।

कौमी तंजीम (31 मई) के अनुसार आईएसआईएस ने यह हमला सीरियाई सेना की 70वीं ब्रिगेड पर किया है। बशर अल-असद के शासनकाल के दौरान आईएसआईएस उनके खिलाफ काफी सक्रिय था। आईएसआईएस ने 2014 में सीरिया और इराक के काफी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 2019 में उसके खिलाफ सीरिया में सक्रिय रूसी सेना के हमले के कारण उसे सीरिया में कमरतोड़ हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, इसके बावजूद आईएसआईएस ने दक्षिणी सीरिया के काफी क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है। पिछले सप्ताह सीरिया सरकार ने यह दावा किया था कि उसने दमिश्क में आईएसआईएस के एक गुप्त अड्डे पर छापा मारकर उसके लड़ाकों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया था, जो दमिश्क पर छापामार हमला करने की तैयारी कर रहे थे। इस महीने हलब में सरकारी सेना की एक कार्रवाई में आईएसआईएस के तीन शीर्ष कमांडर मारे गए थे।

गौरतलब है कि इस महीने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात के दौरान सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने उनसे मांग की थी कि वे सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिकी सेना की सहायता उपलब्ध कराएं। इस मुलाकात के बाद अमेरिका ने 13 साल के बाद दमिश्क में अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। ट्रम्प ने यह भी घोषणा की है कि वे सीरिया की अहमद अल-शरा सरकार को स्थिरता प्रदान करने के लिए हर संभव सहायता देंगे। अमेरिका के विशेष दूत थॉमस बैरक ने दमिश्क में घोषणा की है कि अमेरिका आईएसआईएस के उन्मूलन के लिए सीरियाई सरकार को सहयोग देगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

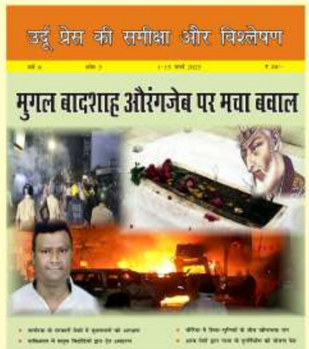

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in